सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

फाल्गुन 24, मंगलवार, शाके 1943-मार्च 15, 2022
Phalguna 24, Tuesday , Saka 1943- March 15, 2022

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 15, 2022

संख्या प.2(6)न्याय/2018 :-लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (सन् 2012 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 32) की धारा 28 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 (सन् 2006 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 6) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, माननीय मुख्य न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श उपरान्त उक्त अधिनियमों के अधीन दण्डनीय अपराधों के विचारण हेतु निम्नलिखित कॉलम संख्या 2 में वर्णित विशेष न्यायालय सृजित एवं स्थापित करती है, जिनका बैठक का स्थान कॉलम संख्या 3 एवं क्षेत्राधिकार कॉलम संख्या 4 के अनुसार होगा-

क्रम संख्या	विशेष न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान	क्षेत्राधिकार
1	2	3	4
1	विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 प्रकरण, संख्या 2, चित्तौड़गढ़	चितौड़गढ़	राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जायेगा
2	विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 प्रकरण, संख्या 2, मेड़ता	मेड़ता	राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जायेगा
3	विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 प्रकरण, संख्या 2, सीकर	सीकर	राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जायेगा

नोट:- इस कार्यालय की पूर्व अधिसूचना क्रमांक प.2(5)न्याय/2012 दिनांक 06.08.2018 द्वारा सृजित विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 प्रकरण, चित्तौडगढ/मेडता/सीकर का नाम परिवर्तित करते हुए विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 प्रकरण, संख्या 1, चित्तौड़गढ़/मेड़ता/सीकर किया जाता है।

उक्त न्यायालयों को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 9(3) के अन्तर्गत अपर सेशन न्यायाधीश की शक्तियॉ राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीर भटनागर,
प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।